

छत्तीसगढ़ के शासकीय व अशासकीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण संस्थाओं का 'सम्पूर्ण गुणवत्ता मूल्यांकन' : स्टॉफ व आधारगत सुविधाएं आयाम पर प्राचार्यों के मतों के विशेष संदर्भ में:

डा. सत्यप्रकाश यादव
प्राचार्य

पं. मदन मोहन मालवीय शिक्षा महाविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर

Email- spyadav.adv@gmail.com

शोध सारांश

Key words - डी.एल.एड. प्रारंभिक शिक्षा का लोकव्यापीकरण, शैक्षिक पुनर्गठन, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद

शिक्षण जैसे उत्तम कार्य में शिक्षक की भूमिका केन्द्रीय हो गई है। वर्तमान समय में शिक्षक से हमारी अपेक्षाएँ बढ़ गयी हैं, आज उसे जहाँ स्वयं विद्यार्थी, समाज, शाला, व्यवसाय इत्यादि के प्रति समर्पित होना है, वहीं विषय-विशेषज्ञ, चिंतक के रूप में भी अपने को साबित करना है। वास्तव में अध्यापक ही संस्था द्वारा प्रदत्त शैक्षिक वातावरण के निर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। शिक्षकों के प्रशिक्षण में प्रयोगात्मक कार्यक्रम की भूमिका महत्वपूर्ण है। प्रस्तुत शोध निष्कर्षों के प्रकाश में राज्य की शासकीय एवं अशासकीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण संस्थाओं के प्रयोगात्मक कार्यक्रम के क्रियान्वयन और उसमें अनुभूत समस्याओं के निराकरण के उन्नयन में दिशा-निर्देशन प्राप्त होगा और शिक्षकों को उनके उद्देश्यों को प्राप्त करने योग्य बनाया जा सकेगा।

इक्कीसवीं शताब्दी का भारत तेजी से विकास की ओर अग्रसर है। उसको इस विकास-पथ पर आगे बढ़ाने हेतु एक कुशल मानव संसाधन के रूप में योग्य नागरिकों की आवश्यकता है। उनके इस आवश्यकता की पूर्ति देश की अच्छी शिक्षा-व्यवस्था तथा उन्नत शिक्षक-शिक्षा के माध्यम से पूरी की जा सकती है, जिससे राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की सभी चुनौतियों का सामना करना संभव हो सकेगा। शिक्षा की दृष्टि से "प्रारंभिक शिक्षा का लोकव्यापीकरण", "गुणवत्तापूर्ण सभी के लिए शिक्षा", आदि राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख लक्ष्य रहें हैं। इसी क्रम में 6 से 14 वर्ष की आयुसमूह के बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा देना, आज उनका मौलिक अधिकार बन गया है, साथ ही यह लक्ष्य देश का संवैधानिक उत्तरदायित्व भी हो गया है। व्यवहारिक रूप से देश के शैक्षिक समस्याओं की जांच करने वाले प्रत्येक शिक्षा आयोग ने अध्यापकों की दशा की ओर विशिष्ट ध्यान दिया है। माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952-53) ने भी कहा है कि हम इस बात से पूरी तरह सहमत हैं कि आमूलचूल शैक्षिक पुनर्गठन में अध्यापक सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है। शिक्षा आयोग (1964-66) के अनुसार शिक्षा की विशिष्टता तथा गुण को प्रभावित करने वाले एवं राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले सभी विभिन्न घटकों में निःसंदेह रूप से शिक्षकों की योग्यता एवं उनके

गुण सर्वाधिक प्रभावकारी है। अतः हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं, इन अपेक्षाओं को पूरा करने हेतु एक कुशल शिक्षक तैयार करना होगा और यह तभी संभव है जब देश में शिक्षक को उत्तम प्रशिक्षण प्रदान किया जाय।

छत्तीसगढ़ में शासकीय एवं अशासकीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थिति –

छत्तीसगढ़ राज्य 1 नवम्बर 2000 को अस्तित्व में आया। वर्तमान में एस.सी.ई.आर.टी. रायपुर, छत्तीसगढ़, 2018 के आकड़ों के अनुसार 27 जिलों में कुल 21 शासकीय एवं 68 अशासकीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण संस्थाएँ संचालित हो रही हैं जिनमें दो वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन का पाठ्यक्रम संचालित कर प्रारंभिक शालाओं हेतु प्रशिक्षित शिक्षक तैयार करने का दायित्व दिया गया है।

सम्पूर्ण गुणवत्ता मूल्यांकन–

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिसूचना नई दिल्ली 28 नवंबर 2014 जिसका प्रकाशन भारत राजपत्र (भाग-3 खण्ड चार) के पृष्ठ 13 परिशिष्ट-2 में अंकित प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा में डिप्लोमा (डी.एल.एड.) प्राप्त कराने वाले प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम में डिप्लोमा पाठ्यचर्चा के मानदंड और मानकों में दिए गये विभिन्न मुद्दों यथा इण्टर्नशिप को गुणवत्ता सूचकांक मानकर (Quality Indicators) शासकीय एवं अशासकीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण संस्थाएँ का सम्पूर्ण गुणवत्ता का मापन किया गया है। प्रस्तुत शोध में सम्पूर्ण गुणवत्ता मापन/मूल्यांकन का यही अभिप्राय है।

अध्ययन का औचित्य –

आज के युग में क्षमतावान शिक्षकों की महती आवश्यकता है विशेषकर प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के विषय में यह अत्यंत आवश्यक हो गया है, क्योंकि वर्तमान में पूरे शिक्षा जगत का ध्यान प्रारंभिक शिक्षकों की ओर आकृष्ट हो रहा है। लोकप्रिय दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर बिलासपुर गुरुवार 9 नवंबर, 2017 के पृष्ठ 18 पर मुद्रित समाचार के अनुसार "शिक्षा के अधिकार कानून के तहत मार्च 2019 के पहले सभी अप्रशिक्षित शिक्षकों को डी.एल.एड. यानी डिप्लोमा इन इलिमेंट्री एजुकेशन का दो साल का कोर्स करना होगा। केन्द्र सरकार ने चाहे वह निजी हो, या फिर शासकीय या अर्द्धशासकीय या अनुदान प्राप्त, सभी स्कूलों के अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए डी.एल.एड. पाठ्यक्रम को अनिवार्य कर दिया गया है। कोर्स न करने पर शिक्षक अध्यापनकार्य से वंचित हो जायेंगे और उनके सामने रोजी-रोटी का प्रश्न खड़ा हो जायेगा। "इस समाचार के अनुसार डाईट एवं डी.एल.एड. प्रशिक्षण संस्थाओं का महत्व प्रारंभिक शिक्षा जगत में अचानक बढ़ गया है। इसलिए डी.एल.एड. प्रशिक्षण संस्थाओं ने प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षार्थियों की अभिवृत्ति को सकारात्मक बना दिये हैं। ऐसे सभी वे उम्मीदवार जो इस स्तर के शिक्षक बनना चाहते हैं, वे सुविधा संपन्न प्रशिक्षण संस्थाओं से प्रशिक्षण लेकर अध्यापक बनने की पात्रता पा लेना चाहते हैं। डी.एल.एड. पाठ्यक्रम के प्रारंभ में प्रशिक्षार्थियों की अभिवृत्ति, प्रशिक्षण पूरा करने पर प्राप्त अभिवृत्ति में परिवर्तन आना, प्रशिक्षण के प्रति अत्यंत सकारात्मक अभिवृत्ति के विकास का संकेत देता है और सुविधा सम्पन्न प्रशिक्षण संस्थाओं की आवश्यकता निरूपित करता है। प्रस्तुत शोध अध्ययन की आवश्यकता व सार्थकता उपरोक्त गद्यांशों के प्रकाश में रेखांकित होती है।

अध्ययन का उद्देश्य –

1. स्टॉफ व आधारगत सुविधायें आयाम पर शासकीय एवं अशासकीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण संस्थाओं के प्राचार्यों के मतों का अध्ययन करना।

अध्ययन के शोध प्रश्न –

शोध प्रश्न—: स्टॉफ व आधारगत सुविधाएं आयाम पर शासकीय एवं अशासकीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण संस्थाओं के प्राचार्यों के मत किस प्रकार के होंगे?

स्टॉफ व आधारगत सुविधाएं आयाम को कवर करने वाले दस प्रश्न पर साक्षात्कार आयोजित किया गया है –

प्रश्न-1 : क्या आपके संस्थान के पास कम से कम 2500 वर्गमीटर जमीन है जिसमें 1500 वर्गमीटर क्षेत्रफल का भवन बना है?

प्रश्न-2 : क्या भवन में कम से कम 2000 वर्गफीट में भवन का हॉल है?

प्रश्न-3 : संस्थान में क्राफ्ट रूम/कला कक्ष/कार्यानुभव कक्ष/अभिनय शाला की सुविधा है?

प्रश्न -4 : क्या संस्थान के पास स्वयं का खेल मैदान है?

प्रश्न-5 : क्या आडियो विजुअल कक्ष है?

प्रश्न-6 : क्या संगीत कक्ष एवं अध्यापक है?

प्रश्न-7 : क्या संस्थान में NCTE द्वारा निर्धारित संख्या के योग्य अकादमिक स्टॉफ है?

प्रश्न-8 : क्या NCTE मानकानुसार अन्य ऑफिस स्टॉफ है?

प्रश्न-9: क्या संस्थान में लाइब्रेरी व रीडिंग रूम है?

प्रश्न-10 : क्या प्रतिवर्ष आवश्यकतानुसार ग्रन्थालय में पुस्तकें, मैगजिन्स व जर्नल्स मंगवायी जाती है?

शोध प्रकल्प –

प्रस्तुत अध्ययन एक वर्णात्मक अध्ययन है जिसमें सर्वेक्षण विधि का उपयोग किया गया है।

शोध न्यादर्श –

छत्तीसगढ़ के 27 जिलों में 21 शासकीय डी.एल.एड. एवं 68 अशासकीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण संस्थाएँ वर्तमान में संचालित हैं, अध्ययन हेतु 09 शासकीय एवं 09 अशासकीय संस्थाओं को उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया द्वारा चुना गया है, जिसके तहत जिस जिले में शासकीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण संस्थाएँ हैं उन्हीं जिलों की अशासकीय प्रशिक्षण संस्थाएँ न्यादर्श में शामिल है, तथा प्रत्येक प्रशिक्षण संस्थाओं से प्रथम वर्ष से 25 एवं द्वितीय वर्ष से 25 प्रशिक्षार्थी, 07 शिक्षक-प्रशिक्षक एवं 01 प्राचार्य अथवा विभागाध्यक्ष को प्रश्नावली भरने हेतु चयन किया गया।

शोध चरांक –

प्रस्तुत अध्ययन में चर एवं उनके स्तर निम्नानुसार है –

स्वतंत्र चर –

(i) डाईट/डी.एल.एड. प्रशिक्षण संस्थाओं हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् नई दिल्ली द्वारा निर्धारित कार्यक्रम एवं मानक के अनुपालन के स्तर ।

(ii) संस्थाओं के प्रकार—शासकीय एवं अशासकीय

आश्रित चर —डी.एल.एड. प्रशिक्षण संस्थाओं में सम्पूर्ण गुणवत्ता मूल्यांकन इस अध्ययन के आश्रित चर है ।

अध्ययन में प्रयुक्त शोध उपकरण—**साक्षात्कार पत्रक –**

डी.एल.एड. संस्थाओं के प्राचार्यों की प्रतिक्रिया का आकलन करने के लिए साक्षात्कार पत्रक का निर्माण शोधकर्ता द्वारा किया गया । इस साक्षात्कार पत्रक को निम्न आयामों पर प्रश्न तैयार किए गए हैं—

शोध प्रश्न का परीक्षण एवं व्याख्या –

शोध प्रश्न—1 : स्टॉफ व आधारगत सुविधाएं आयाम पर शासकीय एवं अशासकीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण संस्थाओं के प्राचार्यों के मत किस प्रकार के होंगे?

स्टॉफ व आधारगत सुविधाएं आयाम को कवर करने वाले दस प्रश्न पर साक्षात्कार आयोजित किया गया है जिसके परिणाम नीचे सारणी में दर्शित हैं –

प्रश्न –1 : क्या आपके संस्थान के पास कम से कम 2500 वर्गमीटर जमीन है जिसमें 1500 वर्गमीटर क्षेत्रफल का भवन बना है?

सारणी

2500 वर्गफीट जमीन और उसमें 1500 वर्गफीट का भवन पर प्राचार्यों का अभिमत

संस्था	हाँ	नहीं
शासकीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्यों का प्रतिशत	77.78%	22.22%
अशासकीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्यों का प्रतिशत	100.00%	00.00%

स्रोत – स्वयं शोधार्थी द्वारा संकलित

निष्कर्ष एवं विवेचना –

सारणी से स्पष्ट है कि शासकीय संस्था के प्राचार्यों ने केवल 77.78 प्रतिशत मतों के साथ कथन को स्वीकार किया है, जबकि अशासकीय संस्थाओं के प्राचार्य शत प्रतिशत इस बात से सहमत हैं कि उनकी संस्था के पास NCTE के मापदण्डों के नियमानुसार जमीन उपलब्ध है। प्राचार्यों से कारण जानने की कोशिश की गई, जिससे स्पष्ट हुआ कि बहुत से शासकीय प्रशिक्षण संस्थान के पास भी मानक अनुरूप भूमि उपलब्ध है, किन्तु ऐसे सभी शासकीय प्रशिक्षण संस्थान जिनके पास यदि मानक अनुरूप भूमि उपलब्ध नहीं है, वे भी शासन से अनुदान प्राप्त होने पर मानक अनुरूप भवन निर्माण के लिए प्रयासरत हैं। जबकि अशासकीय संस्थाओं को संस्था की मान्यता प्राप्त करने हेतु एन.सी.टी.ई. के मानक एवं मापदण्डों को पूरा करना

आवश्यक होता है, अतः वह एन.सी.टी.ई. के मापदण्डों के आधार पर भवनों की आधारभूत संरचना में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करते रहते हैं, ऐसा करना उनकी जिम्मेदारी होती है क्योंकि ऐसा न करने पर उनकी संस्था की मान्यता को यथावत रखने पर प्रश्न चिन्ह लग सकता है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि अशासकीय प्रशिक्षण संस्थाओं के पास 2500 वर्गमीटर जमीन व 1500 वर्गमीटर क्षेत्रफल के भवन की उपलब्धता है, जबकि शासकीय संस्थाओं में यह मापदण्ड अपेक्षाकृत (77.78 प्रतिशत) कम देखा गया है।

प्रश्न-2 : क्या भवन में कम से कम 2000 वर्गफीट में भवन का हॉल है?

सारणी

2000 वर्गफीट में भवन का हाल पर प्राचार्यों का अभिमत

संस्था	हाँ	नहीं
शासकीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्यों का प्रतिशत	44.44%	55.56%
अशासकीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्यों का प्रतिशत	77.78%	22.22%

स्रोत-स्वयं शोधार्थी द्वारा संकलित

निष्कर्ष एवं विवेचना –

शासकीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण संस्था के 44.44 प्रतिशत प्राचार्यों ने इस पर सहमति दी है जबकि अशासकीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण संस्था के 77.78 प्रतिशत प्राचार्यों ने इसे स्वीकारा है। शासकीय संस्था के ज्यादातर प्राचार्यों ने माना है कि उनके संस्थान में 2000 वर्ग फीट का हॉल उपलब्ध नहीं है, क्योंकि संस्थान का भवन पुराना है, उनमें कोई नवीन सुधार कार्य नहीं हुआ है, जबकि अशासकीय संस्थाओं के भवनों में आवश्यकता अनुसार सुधार कार्य होते रहते हैं, क्योंकि एन.सी.टी.ई. के मापदण्डों को पूरा करना उनके लिए चुनौतीपूर्ण होता है, यह उनकी संस्था के मान्यता को यथावत रखने हेतु आवश्यक होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अशासकीय संस्थान में 2000 वर्गफीट के हॉल की उपलब्धता ज्यादा देखी गयी है।

प्रश्न-3 : संस्थान में क्राफ्ट रूम/कला कक्ष/कार्यानुभव कक्ष/अभिनय शाला की सुविधा है?

सारणी

क्राफ्ट रूम/कला कक्ष/कार्यानुभव कक्ष/अभिनय शाला की सुविधा पर प्राचार्यों का अभिमत

संस्था	हाँ	नहीं
शासकीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्यों का प्रतिशत	66.67%	33.33%
अशासकीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्यों का प्रतिशत	44.44%	55.56%

स्रोत – स्वयं शोधार्थी द्वारा संकलित

निष्कर्ष एवं विवेचना –

क्राफ्ट रूम/कला कक्ष/कार्यानुभव/अभिनय शाला की सुविधा शासकीय संस्थाओं में अधिक (66.67 प्रतिशत) अच्छी है जबकि अशासकीय संस्थाओं में (44.44 प्रतिशत) कुछ कम है। स्पष्ट है अशासकीय संस्थाओं में भवन तो उपलब्ध है किन्तु उन्हें NCTE के नियमों के अनुसार व्यवस्थित उपयोग नहीं किया जा रहा है। निष्कर्षतः शासकीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण संस्थाओं में क्राफ्ट रूम/कला रूम/कार्यानुभव कक्ष इत्यादि की उत्तम सुविधाएं हैं।

प्रश्न-4 : क्या संस्थान के पास स्वयं का खेल मैदान है?**सारणी****खेल का मैदान पर प्राचार्यों का अभिमत**

संस्था	हाँ	नहीं
शासकीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्यों का प्रतिशत	55.56%	44.44%
अशासकीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्यों का प्रतिशत	88.89%	11.11%

*स्रोत – स्वयं शोधार्थी द्वारा संकलित***निष्कर्ष एवं विवेचना –**

सारणी से स्पष्ट है कि संस्थान के पास खेल के मैदान की उपलब्धता पर अशासकीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण संस्था के प्राचार्यों ने 88.89 प्रतिशत के साथ सहमति दी है जबकि शासकीय संस्था के 55.56 प्रतिशत प्राचार्यों ने इसे स्वीकार किया है। अर्थात् अशासकीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण संस्थाओं के पास स्वयं का खेल मैदान की उपलब्धता अच्छी है।

प्रश्न-5 : क्या आडियो विजुअल कक्ष है?**सारणी****आडियो विजुअल कक्ष पर प्राचार्यों का अभिमत**

संस्था	हाँ	नहीं
शासकीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्यों का प्रतिशत	100.00%	00.00%
अशासकीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्यों का प्रतिशत	55.56%	44.44%

*स्रोत – स्वयं शोधार्थी द्वारा संकलित***निष्कर्ष एवं विवेचना –**

ऑडियो विजुअल कक्ष सभी शासकीय डाईट्स व बी.टी.आई में है जबकि अशासकीय संस्थाओं में यह कम (55.56 प्रतिशत) है। शासन द्वारा ICT के माध्यम से शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है, अतः वे इस हेतु संसाधनों की उपलब्धता पर भी पूर्ण ध्यान दे रहे हैं, यही कारण है कि शासकीय संस्थाओं में ऑडियो-विजुअल की उपलब्धता अच्छी है, अशासकीय

संस्थाओं के पास शिक्षक तो तकनीकी युक्त हैं किन्तु संसाधनों की कमी पाई गई है। अर्थात् शासकीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण संस्थाओं में ऑडियो-विजुअल कक्ष की उपलब्धता अशासकीय संस्थाओं से ज्यादा अच्छी है।

प्रश्न-6 : क्या संगीत कक्ष एवं अध्यापक है?

सारणी

संगीत कक्ष एवं अध्यापक पर प्राचार्यों का अभिमत

संस्था	हाँ	नहीं
शासकीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्यों का प्रतिशत	55.56%	44.44%
अशासकीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्यों का प्रतिशत	33.33%	66.67%

स्रोत – स्वयं शोधार्थी द्वारा संकलित

निष्कर्ष एवं विवेचना –

सारणी से स्पष्ट है कि शासकीय संस्थाओं में 55.56 प्रतिशत प्राचार्यों ने संगीत कक्ष व संगीत अध्यापक हैं, पर अपनी सहमति दी है, जबकि अशासकीय संस्थाओं में संगीत कक्ष व संगीत अध्यापक की नियुक्ति पर केवल (33.33 प्रतिशत) प्राचार्यों की सहमति प्राप्त हुई है। निष्कर्षतः शासकीय संस्थाओं में संगीत कक्ष एवं संगीत अध्यापक की व्यवस्था अशासकीय संस्थाओं से ज्यादा अच्छी है।

प्रश्न –7 : क्या संस्थान में NCTE द्वारा निर्धारित संख्या के योग्य अकादमिक स्टॉफ है?

सारणी क्रमांक 4.52

NCTE के अनुसार अकादमिक स्टॉफ पर प्राचार्यों का अभिमत

संस्था	हाँ	नहीं
शासकीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्यों का प्रतिशत	55.56%	44.44%
अशासकीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्यों का प्रतिशत	77.78%	22.22%

स्रोत – स्वयं शोधार्थी द्वारा संकलित

निष्कर्ष एवं विवेचना –

सारणी से स्पष्ट है कि संस्था में NCTE द्वारा निर्धारित संस्था के योग्य स्टॉफ की नियुक्ति पर शासकीय संस्था के केवल 55.56 प्रतिशत एवं अशासकीय संस्था के 77.78 प्रतिशत प्राचार्यों ने सहमति दी है। अर्थात् अशासकीय संस्थाओं में NCTE द्वारा निर्धारित संस्था के योग्य अकादमिक स्टॉफ नियुक्त है।

प्रश्न-8 : क्या NCTE मानकानुसार अन्य ऑफिस स्टॉफ है

सारणी

NCTE के अनुसार ऑफिस स्टॉफ पर प्राचार्यों का अभिमत

संस्था	हाँ	नहीं
शासकीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्यों का प्रतिशत	33.33%	66.67%
अशासकीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्यों का प्रतिशत	22.22%	77.78%

स्रोत – स्वयं शोधार्थी द्वारा संकलित

निष्कर्ष एवं विवेचना –

सारणी से स्पष्ट है कि NCTE मानकानुसार अन्य ऑफिस स्टॉफ की सुविधा पर अशासकीय एवं शासकीय डी.एल.एड. संस्थाओं के प्राचार्य आधे से अधिक असंतुष्ट थे, दोनों प्रकार की संस्था के प्राचार्यों से हुई बातचीत के अनुसार संस्था में NCTE के मानक के अनुसार ऑफिस स्टॉफ तथा कम्प्यूटर ऑपरेटर, प्रयोगशाला सहायक, उच्च श्रेणी लिपिक जैसे पदों पर संस्थाओं में नियुक्ति नहीं हुई है। निष्कर्षतः NCTE मानकानुसार अन्य ऑफिस स्टॉफ की नियुक्ति पर शासकीय एवं अशासकीय दोनों प्रकार की संस्थाओं के प्राचार्य असहमत पाए गए हैं।

प्रश्न-9 : क्या संस्थान में लाइब्रेरी व रीडिंग रूम है?

सारणी

पुस्तकालय व रीडिंग रूम की सुविधा पर प्राचार्यों का अभिमत

संस्था	हाँ	नहीं
शासकीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्यों का प्रतिशत	88.89%	11.11%
अशासकीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्यों का प्रतिशत	100.00%	00.00%

स्रोत – स्वयं शोधार्थी द्वारा संकलित

निष्कर्ष एवं विवेचना –

स्पष्ट है कि शासकीय एवं अशासकीय दोनों प्रकार की संस्थानों के प्राचार्यों ने संस्था में लाइब्रेरी व रीडिंग रूम की अच्छी व्यवस्था को स्वीकार किया है। अशासकीय संस्था के प्राचार्यों ने तो शत-प्रतिशत सहमति प्रदान की है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अशासकीय संस्थाओं के शत-प्रतिशत प्राचार्यों ने अपनी संस्था में पुस्तकालय व रीडिंग रूम की उपलब्धता पर अपनी सहमति दी है, इसी तरह शासकीय संस्थाओं में भी पुस्तकालय की व्यवस्था अच्छी देखी गयी है।

प्रश्न-10 : क्या प्रतिवर्ष आवश्यकतानुसार ग्रंथालय में पुस्तकें, मैगजिन्स व जर्नल्स मंगवायी जाती है?

सारणी

पुस्तकें, पत्रिकाओं व जर्नल्स की उपलब्धता पर प्राचार्यों का अभिमत

संस्था	हाँ	नहीं
शासकीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्यों का प्रतिशत	55.56%	44.44%

अशासकीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्यों का प्रतिशत	22.22%	77.78%
---	--------	--------

स्रोत – स्वयं शोधार्थी द्वारा संकलित

निष्कर्ष एवं विवेचना –

स्पष्ट है कि शासकीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण संस्था के 55.56 प्रतिशत प्राचार्यों ने ग्रंथालय में पुस्तकें, मैगजिन्स व जर्नल्स मंगवाई जाती है, को स्वीकार किया है जबकि अशासकीय संस्था के केवल 22.22 प्रतिशत प्राचार्यों ने इस पर सहमति दी है। अशासकीय संस्था का यह प्रतिशत अत्यन्त न्यून है, कारण जानने पर स्पष्ट हुआ है कि अशासकीय महाविद्यालय में ग्रंथालय सुविधा है, किन्तु आवश्यकता अनुसार प्रतिवर्ष अच्छी पुस्तकें, जर्नल्स मंगवाये जाने पर प्रबंध समिति पर्याप्त ध्यान नहीं देते हैं, शासकीय संस्थाओं में भी स्थिति बहुत अच्छी दिखाई नहीं दी है। स्पष्ट है कि प्रतिवर्ष आवश्यकता अनुसार संस्था के ग्रंथालय में पुस्तकें मंगवाये जाने पर शासकीय संस्थाएं अशासकीय संस्थाओं की अपेक्षा ज्यादा सकारात्मक है, किन्तु दोनों ही प्रकार की संस्थाओं में सुविधा बढ़ाई जाने की आवश्यकता है।

स्टॉफ, आधारगत सुविधायें आयामों पर आधारित निष्कर्ष –

स्टाफ व आधारगत सुविधायें आयाम को कवर करने वाले दस प्रश्नों पर आयोजित साक्षात्कार के निष्कर्ष निम्नानुसार हैं—

- अशासकीय प्रशिक्षण संस्थाओं के पास 2500 वर्गमीटर जमीन व 1500 वर्गमीटर क्षेत्रफल के भवन की उपलब्धता है, जबकि शासकीय संस्थाओं में यह मापदण्ड अपेक्षाकृत (77.78 प्रतिशत) कम देखा गया है।
- अशासकीय संस्थान में 2000 वर्गफीट के हॉल की उपलब्धता ज्यादा देखी गयी है।
- शासकीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण संस्थाओं में क्राफ्ट रूम/ कला रूम/ कार्यानुभव कक्ष इत्यादि की उत्तम सुविधाएं हैं।
- अशासकीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण संस्थाओं के पास स्वयं का खेल मैदान की उपलब्धता अच्छी है।
- शासकीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण संस्थाओं में ऑडियो-विजुअल कक्ष की उपलब्धता अशासकीय संस्थाओं से ज्यादा अच्छी है।
- शासकीय संस्थाओं में संगीत कक्ष एवं संगीत अध्यापक की व्यवस्था अशासकीय संस्थाओं से ज्यादा अच्छी है।
- अशासकीय संस्थाओं में NCTE द्वारा निर्धारित संस्था के योग्य अकादमिक स्टॉफ नियुक्त है।
- NCTE मानकानुसार अन्य ऑफिस स्टॉफ की नियुक्ति पर शासकीय एवं अशासकीय दोनों प्रकार की संस्थाओं के प्राचार्य असहमत पाए गए हैं।
- अशासकीय संस्थाओं के शत-प्रतिशत प्राचार्यों ने अपनी संस्था में पुस्तकालय व रीडिंग रूम की उपलब्धता पर अपनी सहमति दी है, इसी तरह शासकीय संस्थाओं में भी पुस्तकालय की व्यवस्था अच्छी देखी गयी है।

- प्रतिवर्ष आवश्यकतानुसार संस्था के ग्रंथालय में पुस्तकें मंगवाये जाने पर शासकीय संस्थाएं अशासकीय संस्थाओं की अपेक्षा ज्यादा सकारात्मक है किन्तु दोनों ही प्रकार की संस्थाओं में सुविधा बढ़ाई जाने की आवश्यकता है।

प्रस्तुत शोध निष्कर्षों का शैक्षिक महत्व –

राज्य के शासकीय एवं अशासकीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण संस्थाओं को अधिक उद्देश्यपूर्ण एवं मानक के अनुकूल बनाने की दृष्टि से उनकी सुविधाओं, विशेषताओं एवं कमजोरियों को उजागर करने संबंधी अध्ययन की विशेष महत्ता है। इससे शिक्षाविदों और शिक्षा अधिकारियों व शासन को अपनी योजना एवं नीति सृष्टि करने में सहायता मिलेगी, साथ ही राज्य में संचालित अन्य सभी शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थाओं की सुविधाओं को अधुनातन बनाने में सहायता मिलेगी।

- राज्य में शासकीय एवं अशासकीय डी.एल.एड. संस्थाओं में कार्यरत शिक्षकों हेतु (सेवापूर्व, सेवाकालीन तथा अल्पकालीन) प्रशिक्षण आयोजित कर राज्य में कुशल शिक्षक तैयार करने में सहायता प्राप्त होगी।
- राज्य की शासकीय एवं अशासकीय डी.एल.एड. संस्थाओं के लिए दूरदृष्टि, लक्ष्य तथा अपेक्षाएँ निर्धारित करने में सुविधा होगी।
- राज्य में डी.एल.एड. संस्थाओं में सेवारत शिक्षक-प्रशिक्षकों का अपने संस्थान के प्रति प्रतिबद्धता एवं समर्पण व सेवाभाव का पता लगाया जा सकता है और आवश्यकता अनुसार उनमें इन गुणों का विकास किया जा सकता है।
- प्रोफेसर सत्यभूषण (2004) के विचारों के अनुकूल राज्य की डार्ट्स के संबंध में व्यक्तिगत नीतियों, निकाय के कर्मचारियों के क्षमता-विकास, प्रशासकीय एवं वित्तीय अधिकारों के विकेंद्रीकरण, प्रशिक्षण संस्थाओं में परस्पर संवाद के अवसर तथा डार्ट्स में नवाचारी कार्यक्रमों के आयोजन में सहायता मिलेगी।
- प्रस्तुत शोध निष्कर्षों के प्रकाश में राज्य की शासकीय एवं अशासकीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रम एवं क्रियाकलापों के उन्नयन में दिशा-निर्देशन प्राप्त होगा और उन्हें उनके उद्देश्यों को प्राप्त करने योग्य बनाया जा सकेगा।

सन्दर्भ सूची

- चन्द्रशेखर, के. (2000): एन इवेल्यूवेटिव स्टडी ऑफ प्राइमरी स्कूल टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम इन आन्ध्र प्रदेश, पी-एच.डी. थिसिस-एजुकेशन, श्री वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय, तिरुपति.
- चन्द्रशेखर, के. (2017) : “टीचर एजुकेशन परसेप्शन्स ऑफ डार्ट्स फेसिलिटीज एण्ड दियर रिलेसन्स टू सर्टेन पर्सनल एण्ड डिमोग्राफिक वैरियेबल्स” *पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन, बड़ौदा*, वाल्यूम 23(2), पृष्ठ 92-104.
- दैनिक समाचार पत्र, दैनिक भास्कर, बिलासपुर, गुरुवार 9 नवंबर, 2017 पृष्ठ 18.
- दास, आर.सी. एवं जंगीरा, एन.के. (2004) : ‘ए ट्रेण्ड रिपोर्ट, टीचर एजुकेशन’, *थर्ड सर्वे ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन*, एन.सी.ई.आर. टी., नई दिल्ली, पृष्ठ : 782-789.

डेलर्स, जे. एवं अन्य(1998) : "क्वालिटी टीचर्स, लर्निंग: दी ट्रेजर विदिन' रिपोर्ट टु यूनेस्को ऑफ दी इण्टरनेशनल कमीशन ऑन एजुकेशन फार दी ट्वेन्टी फर्स्ट सेन्चुरी, पेरिस, यूनेस्को, : कोटेड बाई इन दी इण्डियन्स जर्नल फॉर टीचर एजुकेशन, एन.सी.टी.ई., नई दिल्ली, वाल्यूम 1(1) : 146

दीपा, कृष्णा एवं सरोज, आनन्द (2006) : गुणवत्तापरक प्राथमिक शिक्षक—प्रशिक्षणजिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं की भूमिका,अन्वेषिका 3(2) :75—80.

मुखोपाध्याय, मारमर (2009) : शिक्षा में सम्पूर्ण गुणवत्ता प्रबन्धन, डायमण्ड पॉकेट बुक (प्रा.) लि., नई दिल्ली